संख्या– 867/26–ब0प्र0–2010–25(खा)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण — लखनऊ : दिनांक: 05 नवम्बर, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) के लिए धनराशि की अवशेष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक–643/खा0ग्रा0बो0/बजट/प्रशि0यो0 /2010–11 दिनांक 6.10.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 17.50 लाख (रू0 सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न चार्ट के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शतप्रतिशत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए ग्राम्य विकास विभाग की एस0जी0एस0वाई0 योजना के लिए निर्धारित मानक के अनुसार की जायेगी। अवशेष धनराशि की स्वीकृति से पूर्व लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

3– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–10–231/10 दिनांक 26.3.10 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा–निदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

5– उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–07–कौशल सुधार प्रशिक्षण–27– सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1956/दस–2010 दिनांक 01 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:: यथोक्त ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

(... कुमार पाण्डेय)
... निदेशक

<u>संख्या- 867 (1)/26-ब0प्र0-2010-तद्‌दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-4
6- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल/एन0आई0सी0 की प्रति ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

221
19-11-10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

शासनादेश संख्या- 967 /26-ब0प्र0-2010-25(खा)/2009, दिनांक 04 नवम्बर, 2010 का संलग्नक।

कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) वित्तीय वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति ।

धनराशि (लाख रू0 में)

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	175	3.50	1.75
2	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	150	3.00	1.50
3	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	125	2.50	1.25
4	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद	125	3.50	1.75
5	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आह्लोपट्टी, आजमगढ़	125	2.50	1.25
6	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मागतपुरा, रतनपुरा, मऊ	175	2.50	1.25
7	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	275	5.50	2.75
8	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	150	3.00	1.50
9	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	200	3.50	1.75
10	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	250	5.50	2.75
	योग	1750	35.00	17.50

(रू0 सत्रह लाख पचास हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com